न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 30/2019

गुरदास सिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति जटसिख निवासी धौला तहसील गिदड़वाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।

––प्रार्थी

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीप पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलवीर पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरमीत पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. जसमीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक धोला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. गगनदीप कौर पुत्री गुरमीत सिंह पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी थांदेवाला तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स.प. धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :–

1. श्री मेजरसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री इन्द्रजीत जलन्धरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक : 07.02.2020**

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में संक्षेप में इस प्रकार पेश किया कि अप्रार्थीगण सं. 1ता 3 ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा अनवानी कुलदीपसिंह बनाम गुरमीतसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए प्रकरण सं. 215/2019 पेश किया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.02.2019 व डिक्री दिनांक 12.02.2019 जारी की जा चुका है। उक्त अनवानी प्रकरण के दावा चक 32 पीटीपी के खाता सं. 20/10 मे प्रार्थी गुरदाससिंह के नाम से 0.759 है0 आराजी दर्ज रिकार्ड थी जिसमे माननीय न्यायालय के समक्ष अनवानी दावा गुरनामसिंह बनाम गुरदेवकौर आदि प्रकरण सं. 130/2015 मे दिनांक 03.10.2018 को डिक्री जारी करवाकर प्रार्थी के नाम से दर्ज उक्त वर्णित 0.759 है0 आराजी मे से 0.379 है0 आराजी मे से चक 32 पीटीपी के खाता सं. 20/10 के इन्तकाल सं. 539 दिनांक 23.01.2019 के आधार पर प्रार्थी का नाम हटाया गया है। उक्त इंतकाल सं. 539 दिनांक 23.01.2019 के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने एक दावा अनवानी कुलदीपसिंह बनाम गुरमीतसिंह आदि प्रकरण सं. 215/2019 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर निर्णय दिनांक 11.02.19 व डिक्री दिनांक 15.02.2019 जारी करवाई गई जिसमे प्रार्थी की उक्त

7.2.2020
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी आगे जसमीतकौर के नाम ट्रांसफर की जा रही है जिसका प्रार्थी को पता चलने पर दिनांक 15.02.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर उक्त डिक्री दिनांक 12.02.2019 का पालना माननीय न्यायालय द्वारा स्थगित की गई है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनवानी कुलदीप सिंह आदि बनाम गुरमीतसिंह आदि प्रकरण सं. 215/2019 मे जारी निर्णय दिनांक 11.02.2019 व डिक्री दिनांक 12.02.2019 अपास्त किये जाने व उक्त डिक्री की पालना रूकवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री इन्द्रजीत जलन्धरा विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एव जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त अनवानी वाद पत्र में पक्षकार नही है इस कारण प्रार्थी डिक्री दिनांक 12.02.2019 को निरस्त करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के लगभग समस्त मदों में यह कथन अंकित किया है कि डिक्री कानूनी प्रावधानों एव विधि विरूद्व है इस कारण इस न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुन कर डिक्री निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि विनिर्दिष्ट अनूतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 के तहत राजस्व न्यायालय की विधि विरूद्व डिक्री को निरस्त करने की अधिकारिता दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली मे उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत अनवानी कुलदीप सिंह आदि बनाम गुरमीतसिंह आदि प्रकरण सं. 215/2019 प्रस्तुत किया गया जिसमे दिनांक 11.02.2019 को निर्णय व दिनांक 12.02.2019 को डिक्री पारित की गई है। प्रार्थी द्वारा अनवानी कुलदीप सिंह आदि बनाम गुरमीतसिंह आदि प्रकरण सं. 215/2019 मे जारी निर्णय दिनांक 11.02.2019 व डिक्री दिनांक 12.02.2019 अपास्त किये जाने व उक्त डिक्री की पालना रूकवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त अनवानी प्रकरण कुलदीप सिह आदि बनाम गुरमीत सिह आदि वाद पत्र में कुलदीप सिह वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज आराजी में से पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाहा गया है जो कि गुरमीत सिह आदि का रकबा संयुक्त खाता में से गुरदास सिंह आदि बनाम गुरनाम कौर आदि में पारित आदेश व डिक्री से खाता अलग कायम हो चूका था जिसे आगे हिन्दू विधि के तहत पिता व पुत्र के मध्य विभाजित किया गया है एव प्रार्थी का जरिये राजीनामा से 0.379 है. रकबा जो कि गुरनाम कौर व गुरमीत सिह के हक में छोड़ा गया था वह रकबा गुरनाम कौर व गुरमीत सिंह के नाम से दर्ज हो चूका है एव पूर्ववर्ती वाद पत्र में पारित डिक्री के आधार पर ही आगे नया वाद पेश कर आराजी हस्तांतरित की जा चूकी है। प्रार्थी गुरदास सिंह उक्त अनवानी प्रकरण कुलदीप सिंह आदि बनाम गुरमीत सिह आदि में प्रतिवादी पक्षकार नही है एव प्रार्थी/गुरदास सिह उक्त अनवानी प्रकरण में पक्षकार नही होने के कारण पूर्ववर्ती निर्णीत प्रकरण के आदेश को निरस्त करवाये बिना उक्त अनवानी प्रकरण में पारित डिक्री को निरस्त करवाने का अधिकारी नही है एव प्रार्थी/गुरदास सिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये था चूंकि प्रार्थी/गुरदास सिह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

बतौर पक्षकार संयोजित पक्षकार नही है एव बिना पक्षकार हुये उक्त अनवानी प्रकरण में पारित निर्णय से प्रार्थी/गुरदास सिंह के विरूद्व एकपक्षीय डिक्री नही मानी जा सकती है एव ना ही उक्त डिक्री से प्रार्थी/गुरदास सिंह का रकबा किसी प्रकार से कम हुआ है इस प्रकार प्रार्थी/गुरदास सिह को आदेश व डिक्री दिनाक 11.2.2019 व 12.02.2019 से किसी प्रकार की क्षति कारित नही हुयी है एव पूर्ववर्ती डिक्री के प्रभावित रहते प्रार्थी/गुरदास सिंह उक्त बनवानी प्रकरण में पारित डिक्री को निरस्त करवाने का अधिकारी नही है एवं इस प्रकार ना ही प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार की जबावदेही/स्थगन आदेश का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं स्थगन आदेश अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13, सीपीसी एवं स्थगन आदेश अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं दिनांक 22.02.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
जिला गंगानगर (राज.)

07.02.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:16:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: